

डिक्री बमुकदमें ईब्लदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर-62/2019

1. गुरप्रीतकौर पत्नी रणजीतसिंह पुत्री हरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी थेड़ दयासिंह तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
2. गुरमीत कौर पत्नी मेवासिंह पुत्री हरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी थेड़ दयासिंह तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।

वादीयागण

बनाम्

1. सुखपालकौर पत्नी हरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी 3 जीजीआर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीया

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इन्फिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री जयनारायण शर्मा वकील वादीयागण मिन जामिन मुदई श्री संजय शर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चक नं0 2 जीजीआर जमाबन्दी संवत 2071 ता 74 के खाता सं0 74/60 के मुक्तरका खाता की आराजी 9.2730 है0 नहरी मय गै0मु0 रास्ता भूमि में प्रतिवादीया सं0 1 के नाम दर्ज 0.4640 हिस्सा व इसी चक के खाता सं0 79/65 के मुक्तरका खाता की आराजी 6.9320 है0 नहरी भूमि में प्रतिवादीया सं0 1 के नाम दर्ज 3.3310 है0 आराजी के वादीयागण को ब0हि0ब0 के खातेदार कस्तकार घोषित किये जाकर चक नं0 2 जीजीआर जमाबन्दी संवत 2071 ता 74 के खाता सं0 74/60 व इसी चक के खाता सं0 79/65 मे से प्रतिवादीया सुखपालकौर का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तकअदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...05.07.2019...को जारी किया गया।

(मीनू वर्मा)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी